

क्रमांक: 1474-C
सेवा में,

दिनांक: 31/10/2016

वन संरक्षक,
दक्षिणी परिमण्डल,
गुडगांव।

विषय:- **Diversion of 0.6975 hac. of forest land for laying of OFC by M/s Idea Cellular Ltd. from Farrukhnagar (SH 15A) to Village- Janaula (Pataudi) Via Fazilpur Badli SH-26 & SH 26 to Village- Janaula in Distt. Gurgaon. (FP/HR/OTHERS/20878/2016)**

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 28.09.2016

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि प्रस्तावित केस में कोई वृक्ष अथवा पौधा बाधित नहीं है तथा डाईवर्ट होने वाला क्षेत्र भी 1 है० से कम है। नियमानुसार इस प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम बनाई जानी नहीं बनती है। आनलाईन प्रक्रिया में क्षतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम (चैक लिस्ट 18) की आवश्यकता होती है जोकि इस प्रस्ताव में आवश्यक नहीं है। अतः यह प्रस्ताव आनलाईन नहीं हुआ है। यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

पृ० क्रमांक 1475-C

दिनांक 31/10/2016

एक प्रति नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.) हरियाणा, पंचकूला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
गुडगांव।

उप वन संरक्षक,
गुडगांव।